



# महाराष्ट्र शासन राजपत्र

## असाधारण भाग चार-क

वर्ष ७, अंक ७]

मंगळवार, मार्च २३, २०२१/चैत्र २, शके १९४३

[पृष्ठे ४, किंमत : रुपये ९.००

असाधारण क्रमांक ९

### प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्ट्र शासनाव्यतिरिक्त इतर वैधानिक प्राधिकाऱ्यांनी तयार केलेले

(भाग एक, एक-अ व एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त इतर)

वैधानिक नियम व आदेश ; यात भारत सरकार, उच्च न्यायालय, पोलीस आयुक्त, आयुक्त (राज्य उत्पादन शुल्क), जिल्हादंडाधिकारी व निवडणूक आयोग, निवडणूक न्यायाधिकरण, निवडणूक निर्णय अधिकारी व निवडणूक आयोगाखालील इतर प्राधिकारी यांनी तयार केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांचा समावेश होतो.

### GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya,

Mumbai 400 032, dated 23rd March 2021.

### NOTIFICATION

No. BYE-2021/CR.126/21/XXXIII.—In pursuance of sub-section (1) of section 150, 30 and 56 of the Representation of People Act, 1951 (43 of 1951), the following is published for General Information :—

### ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi 110 001

dated 23rd March, 2021  
Chaitra 2, 1943 (Saka)

### NOTIFICATION

No. 100/MH-LA/1/2021.—WHEREAS, the seat of Bhalake Bharat Tukaram, in the Legislative Assembly of the State of Maharashtra, elected from 252 - Pandharpur Assembly Constituency, has become vacant on 28th November, 2020, by reason of his death; and

2. WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

3. NOW THEREFORE, in pursuance of sub-section (1) of section 150, and sections 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby :—

(A) calls upon the said 252 - Pandharpur Assembly Constituency in the State of Maharashtra, to elect, before the 4th May 2021 (Tuesday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State ;

(B) appoints, with respect to the said election,—

- (a) the 30th March 2021 (Tuesday), as the last date for making nominations;
  - (b) the 31st March 2021 (wednesday), as the date for the scrutiny of nominations;
  - (c) the 3rd April 2021 (Saturday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
  - (d) the 17th April 2021 (Saturday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken ;
  - (e) the 4th May 2021 (Tuesday), as the date before which the election shall be completed ;
- and

(C) fixes the hours from 7-00 A.M. to 7-00 P.M., as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.

By order,

S. K. DAS,

Secretary to the Election Commission of India.

**भारत निर्वाचन आयोग**

निर्वाचन सदन, अशोक रोड,

दिनांक 23 मार्च, 2021

नई दिल्ली 110 001, चैत्र 2, 1943 (शक)

**अधिसूचना**

सं. 100/महा.-वि.स./1/2021.—यतः, महाराष्ट्र राज्य की विधान सभा में 252-पंढरपूर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित भालके भारत तुकाराम का स्थान, उनकी मृत्यु होने के कारण 28 नवम्बर 2020 को रिक्त हो गया है ; और

2. यतः; इस प्रकार उत्पन्न हुई रिक्ति को भरने के उद्देश्य से उप-निर्वाचन कराया जाना है ;

3. अतः; अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उप-धारा (1) तथा धारा 30 और 56 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा,—

(अ) महाराष्ट्र राज्य में उक्त 252-पंढरपूर विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि वे 04 मई 2021 (मंगलवार) से पूर्व तथा उक्त अधिनियम के उपबंधों और तद्धीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के अनुसार राज्य की विधान सभा में उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित करे ;

(आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में—

|                                                          |                          |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|
| (क) नाम-निर्देशन करने की अन्तिम तारीख                    | 30 मार्च, 2021 (मंगलवार) |
| (ख) नाम-निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख                  | 31 मार्च, 2021 (बुधवार)  |
| (ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख               | 03 अप्रैल, 2021 (शनिवार) |
| (घ) वह तारीख जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा          | 17 अप्रैल, 2021 (शनिवार) |
| (ङ) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा | 04 मई, 2021 (मंगलवार)    |

नियत करता है, और

(इ) 7-00 बजे पूर्वाह्न से 7-00 बजे अपराह्न तक का समय, ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो निर्वाचन के लिए ऊपर विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

आदेश से,

**एस. के. दास,**

सचिव,

भारत निर्वाचन आयोग

**A. N. VALVI,**

**Deputy Secretary and Joint Chief Electoral Officer,  
Maharashtra State.**

क्रमांक बीवायई-२०२१/प्र.क्र. १२६/२१/३३,  
**सामान्य प्रशासन विभाग**  
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक,  
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२,  
दिनांक २३ मार्च २०२१.

**प्रत, माहिती व योग्य कार्यवाहीसाठी अग्रेषित :—**

- (१) सचिव (कार्यभार), विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई,
- (२) विभागीय आयुक्त, पुणे
- (३) जिल्हाधिकारी तथा निवडणूक निर्णय अधिकारी, सोलापूर
- (४) उप जिल्हाधिकारी तथा उप जिल्हा निवडणूक अधिकारी, सोलापूर
- (५) निवडणूक निर्णय अधिकारी, २५२-पंढरपूर विधानसभा मतदारसंघ (जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत)
- (६) निवडनस्ती.

**सं. ना. गरूडकर,**  
कक्ष अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग,  
महाराष्ट्र राज्य.